

न्यायालय:-दिलीप सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी
तहसील बैहर जिला बालाघाट म.प्र.

आप.प्र.क. 945 / 11

संस्थित दिनांक-07.12.2011

फाईलिंग क.234503000062011

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र बैहर,
 जिला बालाघाट म0प्र0।अभियोजन।

विरुद्ध

सरोज कुमार सरकार पिता नेपाल सरकार, उम्र-34 वर्ष,
 निवासी-पंखाजूर, पो.व्ही.1, कांकेर छत्तीसगढ़अभियुक्त।

—: निर्णय :—

दिनांक-29/01/2018 को घोषित:-

1— अभियुक्त पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279, 429 का आरोप है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक-25.09.2011 को 2:00 बजे कोहका पुल के पास थानांतर्गत बैहर में लोकमार्ग पर अपने वाहन कांकेर बस क्रमांक-सी.जी.04/ई-1728 को उतावलेपन अथवा उपेक्षापूर्ण रीति से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित कर, उक्त वाहन से सरफराज अहमद की दो नग मुरा भैंस जिनका मूल्य 50/-रुपये से अधिक था, को टक्कर मारकर उनका वध किया एवं एतद् द्वारा रिष्टी कारित की।

2— अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक-26.09.2011 को फरियादी सरफराज खान ने पुलिस थाना बैहर में लिखित आवेदन दिया कि उसके पास मुरा नस्ल की तीन भैंसे ग्राम कोहका में थीं। दिनांक-25.09.2011 को अज्ञात वाहन रात्रि के 2-4 बजे के मध्य भैंसों को टक्कर मारकर फरार हो गया था। जिससे दो भैंसों की मौके पर ही मृत्यु हो गई थी एवं एक भैंस लापता हो गई थी। फरियादी के रिपोर्ट के आवेदन पर से पुलिस थाना बैहर ने अपराध क्रमांक-97/2011 का प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान उपरांत न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया था।

3— अभियुक्त को तत्कालीन पूर्व पीठासीन अधिकारी ने निर्णय के पैरा-1 में उल्लेखित धाराओं का अपराध विवरण बनाकर, पढ़कर

सुनाया एवं समझाया था तो अभियुक्त ने अपराध करना अस्वीकार किया था एवं विचारण चाहा था।

4— अभियुक्त का धारा-313 द.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण किया गया था। अभियुक्त का कहना है कि वह निर्दोष है, उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। अभियुक्त ने बचाव साक्ष्य नहीं देना व्यक्त किया था।

5— प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय बिन्दु निम्नलिखित हैं:-

1. क्या अभियुक्त ने घटना दिनांक-25.09.2011 को 2:00 बजे कोहका पुल के पास थानांतर्गत बैहर में लोकमार्ग पर अपने वाहन कांकेर बस क्रमांक-सी.जी-04/ई-1728 को उतावलेपन अथवा उपेक्षापूर्ण रीति से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया था ?

2. क्या अभियुक्त ने उक्त घटना दिनांक समय व स्थान पर उक्त वाहन से सरफराज अहमद की दो नग मुर्दा भैंस जिनका मूल्य 50/-रुपये से अधिक था, को टक्कर मारकर उनका वध किया एवं एतद् द्वारा रिष्टी कारित की थी ?

विवेचना एवं निष्कर्ष :-

6— साक्ष्य की पुनरावृत्ति नहीं हो इस कारण विचारणीय बिन्दु क्रमांक 01 एवं 02 का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

7— जुल्फकार अहमद अ.सा.01 का कहना है कि घटना एक वर्ष पूर्व की कोहका पंचायत तन्नौर नदी के पास की है। साक्षी की दो मुर्दा भैंस एक्सीडेंट में खत्म हो गयीं थी। साक्षी को गांव के उपसरपंच ने बताया था कि साक्षी की भैंस मर गयी हैं। साक्षी को बाद में पता चला था कि उसकी दोनो भैंसें बस की टक्कर से मरी थीं। साक्षी घटनास्थल पर पहुंचा था तो दो भैंस मर चुकी थी एक भैंस गायब हो गयी थी जो आज तक नहीं मिली है। घटनास्थल पर बस के टूटे हुए कांच के टुकड़े एवं पेंट किये हुए टुकड़े पड़े थे। साक्षी को बाद में पता चला था कि रायपुर ट्रांसपोर्ट की बस ने साक्षी की भैंसों को टक्कर मारी थी। साक्षी को बस

का नम्बर पता नहीं है। घटनास्थल पर साक्षी का भाई सरफराज भी गया था। पुलिस ने साक्षी के बयान लिये थे। साक्षी के सामने पुलिस ने सरफराज से कोई जप्ती नहीं की थी। जप्ती पंचनामा प्र.पी.01 है। साक्षी को अभियोजन पक्ष द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने सुझाव में यह अस्वीकार किया है कि उसके सामने बस की पुटिंग के दस-बारह टुकड़े प्र.पी.01 के जप्ती पंचनामा द्वारा जप्त किये थे।

8— सरफराज अहमद अ.सा.02 का कहना है कि घटना उसके न्यायालयीन कथन से दो वर्ष पूर्व की ग्राम कोहका की है। घटना की रात में साक्षी की भैंस रोड़ पार कर रही थी। सुबह चार-पांच बजे के बीच कांकेर बस निकली थी उसी समय बस का ड्रायवर भैंसो को टक्कर मारकर निकल गया था। भैंसे रोड़ किनारे थीं। साक्षी की दोनो भैंसे गाभन थी जो मर गयी थी। एक भैंस घटना के बाद नहीं मिली थी। साक्षी एवं उसका भाई जुल्फकार घटना के बाद घटनास्थल पर गये थे। घटनास्थल पर से बस की पुटिंग के दस-बारह टुकड़े आसमानी कलर के साक्षी के भाई ने थाने में जप्त कराये थे जिसका जप्ती पंचनामा प्र.पी.01 पुलिस ने बनाया था। पुलिस ने साक्षी के बयान लिये थे। बस की टक्कर से साक्षी की भैंसों की मृत्यु हुई थी उक्त बात साक्षी को उसके चौकीदार आनंद ने बतायी थी। पुलिस ने साक्षी की निशांदेही पर घटनास्थल का मौकानक्शा प्र.पी.02 बनाया था। घटना के संबंध में साक्षी ने थाने में एक लिखित आवेदन प्र.पी.03 दिया था जिसके ए से ए भाग पर साक्षी के हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि घटना उसके सामने नहीं हुई थी। साक्षी ने सुझाव में यह स्वीकार किया है कि प्र.पी.03 के लिखित आवेदन में साक्षी ने अज्ञात वाहन द्वारा भैंसों का एक्सीडेंट करना लिखाया था।

9— शिवप्रसाद अ.सा.03 का कथन है कि घटना उसके न्यायालयीन कथन से ढेड़ वर्ष पूर्व की है। साक्षी मोटरसाईकिल से बैहर आ रहा था। ढाबा के पास दो मुरा भैंसे मरी हुई हालत में थी जो सरफराज बैहर वाले की थी। साक्षी को ढाबा में बैठे लोगो ने बताया था कि कांकेर बस वाले ने टक्कर मारी थी। साक्षी ने प्र.पी.04 के पुलिस कथन का ए से ए भाग

पुलिस को देना स्वीकार किया है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह बताया है कि कांकेर बस वाले ने टक्कर मारी है ढाबा में बैठे किस व्यक्ति ने बताया था साक्षी को पता नहीं है। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि जहां पर भैंस मरी पड़ी थीं ढाबा से वह स्थान दिखायी नहीं देता था।

10— इरसाद खान प्र.पी.05 का कहना है कि घटना उसके न्यायालयीन कथन से छः वर्ष पूर्व की ग्राम कोहका पुलिया के पास की है। दो भैंसों की एक्सीडेंट में मृत्यु हो गयी थी। उक्त भैंसे सरफराज की थी। भैंसों के मर जाने से सरफराज को रिष्टी कारित हुई थी। कांकेर बस एक्सीडेंट करने के बाद पेसेंजर सहित भाटो के ढाबा में रुकी थीं। साक्षी बाजू की दुकान में था। जिसकी भैंसों का एक्सीडेंट हुआ था वह व्यक्ति वहां पर आया था। बस की पुटिंग के टुकड़े घटनास्थल से उठाकर सरफराज भाईजान ढाबा पहुंचा तब साक्षी ने घटना के बारे में सुना था। पुलिस ने साक्षी के बयान लिये थे। साक्षी को अभियोजन पक्ष द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने प्र.पी.06 के पुलिस कथन का ए से ए भाग का बयान पुलिस को देना बताया था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह बताया है कि घटना के बारे में ड्रायवर एवं कंटेक्टर ने उसे बताया था वह बात उसने पुलिस को प्र.पी.06 के बयान में नहीं बतायी थी। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में सुझाव में इस सुझाव को स्वीकार किया है कि बस की पुटिंग के टुकड़े घटनास्थल पर नहीं गिरे थे। साक्षी ने सुझाव में यह स्वीकार किया है कि वह घटना के बारे में पहली बार जानकारी दे रहा है।

11— आनंद अ.सा.07 का कहना है कि उसके सामने घटना नहीं हुई थी। साक्षी ने अभियुक्त को बस चलाते हुए नहीं देखा था। साक्षी ने पुलिस को घटना के बारे में नहीं बताया था। इस साक्षी ने उसकी साक्ष्य में घटना का समर्थन नहीं किया है।

12— आशीष कुमार वैध अ.सा.04 का कथन है कि वह दिनांक 26.09.2011 को पशु चिकित्सालय बैहर में पशु चिकित्सक के पद पर पदस्थ थे। उक्त दिनांक को थाना बैहर से पत्र प्राप्त होने पर उक्त साक्षी ने दो मृत भैंसों का पोस्टमार्टम किया था। पहली भैंस के पी.एम. में साक्षी ने निचले जबड़े पर खरौंच के निशान तथा मुह व नाक में खून पाया था दाहिने

तरफ की पसली टूटी हुई थी गर्भाशय में चार माह का बछड़ा था। साक्षी ने भैंस की मृत्यु किसी भारी वस्तु से टकराने से होना बताया है। चिकित्सक ने दूसरी भैंस के पोस्टमार्टम में भैंस के कमर वाले हिस्से में एवं दाहिने छाती वाले हिस्से में तथा पेट में खरोंच के निशान एवं मुह में खून लगा पाया था। दाहिने तरफ की पसली टूटी हुई थी, गर्भाशय में पांच माह का बछड़ा था। किसी ठोस वस्तु से टकराने के कारण भैंस की मृत्यु हुई थी। चिकित्सक साक्षी द्वारा तैयार की गयी शव परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.05 है जिसके ए से ए भाग पर साक्षी के हस्ताक्षर हैं।

13— जे.एल.बाघाड़े प्रधान आरक्षक अ.सा.06 का कहना है कि दिनांक 26.09.2011 को फरियादी सरफराज अहमद द्वारा थाना बैहर में अज्ञात वाहन द्वारा रात्रि में भैंस की मृत्यु कारित करने के कारण प्र.पी.03 का आवेदन दिया था। आवेदन को जांच में लिया जाकर रोजनामचा सान्हा क्रमांक-887 में दर्ज किया था। जांच के समय वाहन बस क्रमांक सी.जी. 04/ई-1728 के चालक के विरुद्ध अपराध क्र 97/2011 की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.07 दर्ज की थी। सरफराज अहमद की निशांदेही पर मौके पर जाकर मौकानक्शा प्र.पी.02 तैयार किया था। उक्त दिनांक को सरफराज अहमद द्वारा थाना बैहर में घटनास्थल से बस की पुटिंग के आसमानी रंग के दस-बारह टुकड़े लाकर पेश करने पर साक्षी ने गवाहों के समक्ष जप्ती पत्रक प्र.पी.01 तैयार किया था एवं अभियुक्त से थाना बैहर में गवाहों के समक्ष वाहन क्रमांक सी.जी.-04/ई-1728 के दस्तावेज ड्रायविंग लाईसेंस, फिटनेस प्रमाण पत्र, पदूषण प्रमाण पत्र, बीमा, परमिट पेश करने पर जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी.08 तैयार किया था। अभियुक्त को प्र.पी.09 के गिरफ्तारी पत्रक द्वारा गिरफ्तार कर साक्षीगण के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किया था। साक्षी ने जप्तशुदा वाहन क्रमांक सी.जी.-04/ई-1728 का मैकेनिकल परीक्षण अब्दुल सलीम से कराया था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने सुझाव में यह अस्वीकार किया है कि सरफराज अहमद द्वारा प्र.पी.03 का रिपोर्ट का लिखित आवेदन पेश नहीं किया था। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि वाहन की मैकेनिकल परीक्षण रिपोर्ट प्र.डी.01 में बस की पुटिंग निकली हो इस संबंध

में मैकेनिकल परीक्षणकर्ता द्वारा मैकेनिकल परीक्षण रिपोर्ट में उल्लेख नहीं किया है।

14— प्रश्नाधीन प्रकरण के साक्षी सरफराज अहमद अ.सा.02 की साक्ष्य के अनुसार घटना उसके सामने नहीं हुई थी। शिवप्रसाद अ.सा.03 ने दूसरे लोगों के बताने के आधार पर कांग्रेस बस से एक्सीडेंट होने के बारे में बताया था, परंतु इस साक्षी ने प्रत्यक्ष रूप से घटना होते हुए नहीं देखी थी। इस कारण इस साक्षी की साक्ष्य से घटना का समर्थन नहीं होता है। इरसाद खान अ.सा.05 ने प्र.पी.06 के पुलिस कथन के बयान की बात पुलिस को बताने से इंकार किया है, घटना के बारे में साक्षी ने साक्ष्य के समय पहली बार जानकारी देना बताया है ऐसी स्थिति में इस साक्षी की साक्ष्य विश्वसनीय दर्शित नहीं होती है। प्रकरण के किसी भी साक्षी ने उनकी साक्ष्य में यह नहीं बताया है कि अभियुक्त ने बस क्रमांक सी.जी. 04/ई-1728 को घटनास्थल पर उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्वक चलायी थी। प्रकरण के साक्षीगण ने उनकी साक्ष्य में यह भी नहीं बताया है कि प्रश्नाधीन प्रकरण की घटना अभियुक्त ने कारित की थी। प्रकरण के किसी भी स्वतंत्र साक्षी ने उनकी साक्ष्य में घटना के संबंध में अभियुक्त की पहचान सुनिश्चित नहीं की है एवं प्रकरण के किसी भी साक्षी ने उनकी साक्ष्य में यह नहीं बताया है कि बस क्रमांक सी.जी.04/ई-1728 से घटना कारित हुई थी। इस कारण अभियुक्त के विरुद्ध प्रकरण की घटना प्रमाणित नहीं मानी जाती है। अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर वाहन बस क्रमांक-सी.जी. 04/ई-1728 को उतावलेपन अथवा उपेक्षापूर्ण रीति से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित कर, उक्त वाहन से सरफराज अहमद की दो नग मुर्दा भैंस जिनका मूल्य 50/-रुपये से अधिक था, को टक्कर मारकर उनका वध कर रिष्टी कारित की थी। अतः अभियुक्त को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279, 429 के अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

15— अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

16— अभियुक्त का धारा-428 दं.प्र.सं. का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

17— प्रकरण में जप्तशुदा वाहन आवेदक की सुपुर्दगी पर है। सुपुर्दगीनामा अपील अवधि पश्चात आवेदक के पक्ष में समाप्त समझा जावे। अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व मेरे निर्देशन पर टंकित।
दिनांकित कर घोषित किया गया।

(दिलीप सिंह)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
तहसील बैहर जिला—बालाघाट

(दिलीप सिंह)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
तहसील बैहर जिला—बालाघाट

सामान्य जानकारी
(शासकीय / विधिक)